भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2249
05.08.2024 को उत्तर के लिए

कोरल ब्लीचिंग

2249. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में हाल ही में हुई कोरल ब्लीचिंग की घटना से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटोल की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और
(घ) स्थानीय अर्थव्यवस्था अर्थात् पर्यटन और मछुआरों पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग के प्रभाव का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण वैश्विक जल में कोरल मास ब्लीचिंग एक प्राकृतिक घटना है। हालांकि, सामान्य समुद्री परिस्थितियों की बहाली के आधार पर कोरल में सुधार की क्षमता होती है। मार्च 2024 के दौरान लक्षद्वीप में कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं की सूचना मिली है। वर्ष 2023, 2022, 2021 और 2020 के दौरान कोरल ब्लीचिंग की घटनाएँ महत्वपूर्ण नहीं थीं।

लक्षद्वीप प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरलों को बढ़ावा देने के लिए कोरल प्रत्यारोपण गतिविधियां संचालित की जाती हैं। एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना कोरल रीफ के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) दीर्घकालिक कोरल रीफ निगरानी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कोरल ब्लीचिंग की सीमा पर अध्ययन करता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद ने 2011 से भारतीय कोरल परिवेश के लिए

समुद्री सतह तापमान डेटा के आधार पर कोरल ब्लीचिंग चेतावनी से संबंधित सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा, आईएनसीओआईएस ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए इसमें समुद्री ताप तरंगों की निगरानी को भी शामिल कर लिया है, जो भारतीय जल में समुद्री ताप तरंगों की परिवर्तनशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, आईएनसीओआईएस कोरल रीफ की गतिशीलता की समझ बढ़ाने और कोरल ब्लीचिंग परामर्श सेवाओं को मान्य करने के लिए लक्षद्वीप द्वीपसमूह के कोरल पारिस्थितिकी तंत्र में अध्ययन करता है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने विभिन्न विनियामक और संवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से देश में बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटोल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. कोरल प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जो कोरल रीफ को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करता है।

ii. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत प्रख्यापित तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में कोरल और कोरल रीफ जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और नाजुक तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में विकासात्मक गतिविधियों और कचरे के निपटान पर रोक लगाई गई है।

iii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोरल पुनरुद्धार पर एक दीर्घकालिक कार्यक्रम शुरू किया है और समुद्री जैविक स्टेशन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पिछले पांच वर्षों से लक्षद्वीप में कोरल पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और पुनरुद्धार में शामिल है।

iv. केंद्रीय मरीन मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) ने कोरल रीफ को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों को समझने के लिए अध्ययन किया है। सीएमएफआरआई ने एक व्यापक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य उन्नत जलवायु मॉडलिंग, गहन अध्ययन और पारिस्थितिकी अनुसंधान को एकीकृत करके भारत में विभिन्न कोरल रीफ की सहृय क्षमता की जांच करना और कोरल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन आधारित प्रबंधन क्रियाकलापों को विकसित करना है।

भारत में कोरल ब्लीचिंग एक छिटपुट घटना है, तथा ऐसी घटनाओं का स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे पर्यटन और मछुआरों पर अभी तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है।

*****